बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
संकल्प

पटना, दिनांक–13.03.2026

संचिका संख्या–03/आ01–11/2023.1/379290/ निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के गैर सरकारी प्रेषण संख्या–07 दिनांक 15.02.2023 द्वारा श्री सत्येंद्र झा, तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध प्रपत्र 'क' में आरोप पत्र गठित करते हुए आवश्यक कार्रवाई हेतु शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराया गया। श्री झा पर निम्न आरोप प्रतिवेदित गए–

a) माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में श्री झा द्वारा अपने पदस्थापन अवधि में अपेक्षित कार्रवाई न कर मामले को टाल–मटोल करने का प्रयास किया गया।
b) श्री सुशील कुमार झा के लंबित जीवन निर्वाह भत्ता के भुगतान हेतु बार–बार निदेश दिए जाने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया तथा अनावश्यक पत्राचार कर विभाग को दिग्भ्रमित किया गया।
c) बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 की कंडिका–3(1)(i), (ii), (iii) एवं 3(3) का उल्लंघन किया गया।

2. विभागीय ज्ञाप संख्या–224 दिनांक 15.03.2023 द्वारा श्री झा से बचाव अभिकथन की अपेक्षा की गयी। श्री झा द्वारा अपना बचाव अभिकथन समर्पित किया गया जिसपर विभागीय पत्रांक–290 दिनांक 21.06.2023 द्वारा निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग से मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। निदेशक, प्राथमिक शिक्षा से प्राप्त मंतव्य में श्री झा के बचाव अभिकथन को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

3. प्रस्तुत मामले में वृहद जांच की आवश्यकता को समझते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी0) के तहत विभागीय संकल्प संख्या–83154 दिनांक 14.10.2023 द्वारा श्री झा के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी।

4. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन में यह मंतव्य दिया गया है कि वरीय पदाधिकारी द्वारा न्यायालय द्वारा पारित आदेश के तहत लंबित अवधि का भुगतान करने का दिये गये आदेश के बावजूद भी CFMS प्रणाली लागू होने आदि कारणों का उल्लेख कर भुगतान नहीं किया जाना, वरीय पदाधिकारी द्वारा दिये गये आदेश का उल्लंघन एवं अनावश्यक पत्राचार कर मामले को लम्बित रखने के लिए आरोपी पदाधिकारी दोषी प्रतीत होते हैं।

5. उक्त प्रमाणित आरोपों के आलोक में विभागीय पत्रांक–199951 दिनांक 04.02.2025 द्वारा श्री सत्येन्द्र झा से लिखित अभ्यावेदन/निवेदन की मांग की गयी।

6. श्री सत्येंद्र झा द्वारा अपना लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि विषयांकित मामला उनके क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर के पद पर योगदान की तिथि 09.07.2021 के काफी पूर्व से चला आ रहा था। मार्ग निदेश की मांग उनके पूर्ववर्ती पदाधिकारियों द्वारा सभी तथ्यों को रखते हुए की जा चुकी थी। चूँकि स्पष्ट मार्ग निदेश प्राप्त नहीं हुआ था इसलिए उनके द्वारा निदेशक, प्राथमिक शिक्षा का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया गया। अगर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–773 दिनांक–27.03.2006 के आलोक में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा कार्रवाई की गयी होती तो यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। साथ ही यह भी अंकित किया गया है कि बाद में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा उक्त त्रुटि का सुधार किया गया तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा उनके जीवन निर्वाह भत्ता के स्थान पर पूर्ण वेतनादि का भुगतान किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा इन बिन्दुओं की समीक्षा की ही नहीं गयी है और उन्हें दोषी बताया गया।

7. अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी समीक्षा में यह ज्ञात हुआ कि आरोपी पदाधिकारी के द्वारा नियमों का हवाला देते हुए श्री सुशील कुमार झा के लंबित भुगतान में देरी होने का तर्क दिया है। वस्तुतः प्रश्नगत मामले में उनसे यह अपेक्षित था कि मुख्यालय/विभाग से समन्वय स्थापित कर आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त करते तथा ससमय भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित कराते। अतएव इनका लिखित अभ्यावेदन पूर्ण रूपेण स्वीकारणीय नहीं पाया गया है एवं इस प्रकार वरीय पदाधिकारी द्वारा दिये गये आदेश का उल्लंघन एवं अनावश्यक पत्राचार कर मामले को लम्बित रखने के आरोप इन पर प्रमाणित होते हैं।

8. श्री सत्येंद्र झा के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43 (ख) के अंतर्गत "पेंशन से दो वर्षों के लिए पांच प्रतिशत राशि की कटौती "की शास्ति सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श की मांग की गई।

9. बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–4903 दिनांक 09.03.2026 द्वारा श्री सत्येंद्र झा, तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध उपर्युक्त विनिश्चित शास्ति पर सहमति प्रदान की गई है।

10. अतः उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री सत्येंद्र झा, तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43 (ख) के अंतर्गत निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है–

" पेंशन से दो वर्षों के लिए पांच प्रतिशत राशि की कटौती "।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

ह./–
(मनोरंजन कुमार)
निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांकः–03/ आ01–11/2023 1/379290/ पटना, दिनांकः–13.03.2026

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/ महालेखाकार, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/ राज्य परियोजना निदेशक/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य टेक्सट बुक कॉरपोरेशन/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्/मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना/सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/विशेष निदेशक (मा0शि0)/सभी उप निदेशक/सभी संयुक्त निदेशक/सहायक निदेशक/उप सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार एवं श्री सत्येंद्र झा, तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त पता–स्वामी सहजानन्द सरस्वती नगर, भगवानपुर, पो0–भगवानपुर, थाना–सदर, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by
Manoranjan Kumar
निदेशक (प्रशासन)
Date: 13-03-2026 13:31:58